

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

पत्र सं. 2011	धारा अंतर्गत 212, RIA	ग्राम निपानिया	तहसील छबड़ा
वादी सरकार	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी श्यामलाल वगै०	

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

23-12-11

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी को सुना गया, रिकार्ड का अवलोकन किया गया अतः विवादित अराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबड़ा के खण्ड 1098 रकवा 01.10 बीघा, खण्ड 1100 रकवा 02 बीघा 12 बिस्वा पर मौके की यथास्थिति दिनांक 09.01.2012 तक बनाये रखें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे, अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.01.2012 को पेश हो

28-12-17

तहसील छबड़ा द्वारा जो पत्र वाकन उफ पंजीपक छबड़ा को पक्षकार बनाये जाते व इतनेज पंजीपक गही छिदे जाते वाकन स्काग कोरेण हडे पेश करे पट पगावली पेश डुरे तहसील को पुका गमा। जर्षना पत्र व पगावली का अवलोकन छिदा गमा। जो पत्र उफ पंजीपक छबड़ा को पक्षकार बनाये जाते वाकन स्कीना छिदा गमा, ए उफ पंजीपक छबड़ा को लाल स्माही है पक्षकार बनाया जावे। उफ पंजीपक छबड़ा को पावड छिदा जागा ए छि उकर छिदा छि कारागीमान से सावधि न इतनेज पंजीपक हडे पेश होला ए ले उफ पंजीपक गही छिदा जावे। पूर्व आदेश दिनांक 23-12-11 यथावत रहेगा। पगावली वाके लखवी दिनांक 18-1-12 को पेश हो

18-1-12

पगावली पेश डुरे सरकार लखार उफा जर्षना नी लखवी जर्ष कोठि नी जावे। पूर्व स्काग कोरेण दिनांक 1-2-12 तक कटापा जागा ए पगावली वाके लखवी दिनांक 1-2-12 को पेश हो

याद

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

15/04/15

वहील करीब 3 फीट। प्रार्थना पत्र पर
बस सुगर्भ। आराजी बसरा गम्बर
 $\frac{1098}{1110}, \frac{1100}{2112}$ कुल रकम 4.02 बीघा पर जो

अर्थात् निम्नोपासा अग्रणी को पावत किया
जाता है कि उक्त आराजी के सम्बन्ध
में राजस्थ वेकडे की ग्यारिषिणी बन्धि
रखे, आराजी का रहन बेचान नही
करे, प्रकरण निपट दिनांक 29/4/15 को प्रेषित

र. 15/4/15
अ. 15/4/15
2/15

उप जिला कलेक्टर
बबडा, जिला बारा (राज.)

29/4/15

बहुलार करी. उपो। स्वगता को देना की अर्थात्
बडति हुए आराजी दिनांक 6/5/15 को प्रेषित

6/5/15

बहुलार करी-उप। मूलवाद पर बस सुगर्भ की गयी
है, अतः स्वगता को देना की अर्थात् बडति हुए निपट
दिनांक 11/5/15 को प्रेषित है।

11/5/15

पत्रावली प्रेषित है बहुलार करी. उपो. है, मूलवाद का निर्णय
अप्रक हो गया है, अतः यह प्रार्थना पत्र 212 R.A. की
निर्णय सुमार् होकर दाखिल रफ्तार हो।

उप जिला कलेक्टर
बबडा, जिला बारा (राज.)